क्या-क्या शर्तें रखी हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (घ) यू० एस० व्यापार तथा प्रतियोगी अधिनियम, 1988 के सुपर 301 प्रावधान 31.12.1990 से समाप्त हो गए।

26 मई, 1991 को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने अपने व्यापार कानून के स्पेशल 301 प्रावधानों के अंतर्गत भारत के विरुद्ध जांच प्रारंभ की थी। संयुक्त राज्य ने भेषजीय पदार्थों और अन्य परौद्योगीकी के लिए उत्पाद एकस्व संरक्षण के क्षेत्र तथा अवधि, अनिवार्य लाइसेंसिंग व्यवस्थाओं, कॉपीराइट को लागू करने तथा मोशन पिक्चर्स के लिए अधिक बाजार पहुंच आदि के मामले उठाये थे।

सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कापीराइट अधिनियम में कुछ प्रस्तावित संशोधनों सहित ट्रेडमार्क और कापीराइट से संबंधित हमारे कानून पर्याप्त हैं। मोशन पिक्चर्स और वीडियो के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए भी एक निर्णय लिया जा चुका है। जहां तक पेटेन्ट के मुद्दे का संबंध है, संयुक्त राज्य का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है। कि यह बहुपक्षीय वार्ताओं का विषय है और ये वार्ताएं अभी पूरी नहीं हुई हैं।

दिनांक 26 फरवरी, 1992 को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने भारत के खिलाफ धारा-301 के अधीन जांच को समाप्त कर देने के निर्णय की घोषणा कर दी है।

प्याज का निर्यात

1827. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने प्याज उत्पादकों को यह आवश्वासन दिया था कि प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक इस प्रतिबन्ध को हटा लेगी; और

(ग) सरकार प्याज-उत्पादकों के हित में प्याज के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्याज के निर्यात को बढ़ाने तथा साथ ही साथ उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से प्याज के निर्यात को नाफेड के माध्यम से सरणीकृत किया गया था। सरणीकरण अभिकरण के रूप में नाफेड ने प्याजों का वैज्ञानिक भंडारण, अनुसंधान और विकास सुविधाएं, नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्याज के उपजकर्त्ताओं को शिक्षित करना, प्रतियोगी दरों पर रेल द्वारा प्याज की ढुलाई, नौवहन से संबंधित सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था पैकेजिंग स्थितियों में सुधार आदि जैसे विभिन्न संवर्धनात्मक उपाय किए हैं।

Export of Substandard Food Materials

1828. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that number of food materials exported by Government to certain foreign countries have been found sub-standard and unfit for human consumption;

(b) whether it is also a fact that import of such food materials has been stopped by these countries; and

(c) if so, what are the details in this regard and what measures do Government take to set things right?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) to (c) During February and March 1991, some export consignments shipped from India, mainly food items, were detained at various ports in the United States. Detention of these consignments at US ports did not mean that the consignments were rejected. Detentions meant that the consignments were not cleared automatically but only after testing, and if need be, after re-conditioning. The list of consignments detained at US ports and the reasons for detention were conveyed to the concerned trade associations, export promotion councils and